भारतीय संविधान संशोधन
(Amendment of Indian Constitution)

संविधान के भाग– 20 (अनु.–368) में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गयी है। संसद द्वारा अब तक किये गये संशोधनों का संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। यथा–

➢ प्रथम संविधान संशोधन 1951

इस संशोधन को रोमेश थापर बनाम स्टेट आफ मद्रास (1951) एस.सी. के मामलों में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था।

- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई।
- इसके लिए अनु. 19 के खण्ड (2) में निर्बन्धन के तीन नये आधार 'लोक–व्यवस्था' विदेशी राज्य में मैत्री सम्बन्ध' ओर अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करना' जोड़े गये।
- इस संशोधन द्वारा संविधान के अन्तर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें उल्लिखित कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अन्तर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है।

➢ छठाँ सवंधिान संशोधन 1956

इस संशोधन द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में प्रविष्टि–92 (क) जोड़कर केन्द्र सरकार को अन्तर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गयी। इसके लिए अनु. 269 और 286 में कुछ परिवर्तन किये गये।

➢ सातवाँ संविधान संशोधन 1955

यह संशोध्न राज्यपुनर्गठन अधिनियम, 1955' को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया। इसके द्वारा राज्यों को पुनर्गठन 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया।

- अनु. 230, 231 में संशोधन करके उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया और दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबन्ध किया गया। (राज्यपाल का उपबंध)

➢ दसवाँ संविधान संशोधन 1961

इसके द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गय।

➢ ग्यारहवाँ संविधान संशोधन 1961

इस संशोधन द्वारा संविधान के अनु. 71 में खण्ड 4 जोड़कर यह उपबन्धित किया गया कि निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

➢ बारहवाँ संविधान संशोधन 1962

इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया।

➢ तेरहवाँ संविधान संशोधन 1962

इसके द्वारा संविधान में 371 ए जोड़ा गया तथा नागालैण्ड के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान कर उसवे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया।

- **चौदहवाँ संविधान संशोधन 1963**
  केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में पांडिचेरी को संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया तथा अनु. 239क जोड़कर संघ शासित प्रदेशों में विधान मण्डल और मंत्रिपरिषद बनाने का संसद को अधिकार दिया गया।

- **पन्द्रहवाँ संविधान संशोधन 1963**
  इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई।

- **अठारहवाँ संविधान संशोधन 1966**
  इसके द्वारा अनु.–3 में स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि 'राज्य' शब्द के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं। अतः संसद किसी 'राज्य या संघ राज्य क्षेत्र' का गठन कर सकती है।
  तत्पश्चात पंजाब का भाषायी आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिन्दी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का तथा चण्डीगढ़ को केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया।

- **उन्नीसवाँ संविधान संशोधन 1966 ई.**
  इसके तहत अनु. 324 में संशोधन करके चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन करते हुए निर्वाचन सम्बन्धी न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति का अन्त कर दिया गया तथा संसद और राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों के चुनाव सम्बन्धी विवादों के निपटाने की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दिया गया।

- **बाईसवाँ संविधान संशोधन 1969 ई.**
  असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया।

- **चौबीसवाँ संविधान संशोधन 1971**
  गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनु. 13 और अनु. 368 में संशोधन किया गया। अनु. 368 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं तथा अनु. 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि को लागू नहीं होगी।

- अनु. 13 में एक नया खण्ड (4) जोड़कर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अनु. 13 के अर्थान्तर्गत अनु. 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन 'विधि' नहीं है।

- **छब्बीसवाँ संविधान संशोधन 1971**
  इसे माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ (प्रीवी पर्स मामले) में उच्चतम न्यायायल द्वारा दिये गये निर्णय की कठिनाईयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था।

- इस संशोधन द्वारा संविधान से अनु. 291 और 362 को निकाल दिया गया जो इन विषयों से सम्बन्धित थे और एक नया अनु. 363 (क) जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपर्स तथा विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।

- **सत्ताईसवाँ संविधान संशोधन 1971**
  इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरूणाचल प्रदेश को संघशासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया।

- **28 वाँ संविधान संशोधन 1972**
  इस संशोधन द्वारा भारतीय सिविल सर्विस (ICS) अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।

- **31 वाँ संविधान संशोधन 1973**
  इसके तहत् संविधान के अनु. 81 में संशोधन कर लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है।* तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया।

- **36 वाँ संविधान संशोधन 1975**
  इसके द्वारा अनु. 2–क को निरसित कर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया तथा अनु. 371च में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया।*

- **37 वाँ संविधान संशोधन 1975**
  इस संशोधन द्वारा अनु. 239 (क) और 240 में संशोधन किया गया और अरूणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना के लिए उपबन्ध किया गया है।

- **39 वाँ संविधान संशोधन 1975**
  इस संशोधन द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसे विवादों की सुनवाई संसद की विधि द्वारा स्थापित एक जन–समिति (Forum) द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है। ज्ञातव्य है कि अनु. 71 के तहत् राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारिता थी। 44 वें संविधन संशोधन द्वारा यह प्रावधान पूर्ववत कर दिया गया।

- **41 वाँ संविधान संशोधन 1976**
  इसके द्वारा अनु. 316 में संशोधन करके लोकसेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।

- **42 वाँ संविधान संशोधन 1976**
  इसके द्वारा संविधान में 2 नये अध्याय (4–क), (14–क) और 9 नये अनु. को जोड़ा गया तथा 52 वें अनु. में संशोधन किया गया था। इसकी व्यापकता के कारण ही इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। प्रमुख परिवर्तन अधोलिखित हैं–

- संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखण्डता' (Socialist, Secular and Integrity) शब्दों को जोड़ा गया।*
- अनु. 31ग में संशोधन कर सभी नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विस्तार करते हुए निम्न तीन निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया हैं (i) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (अनु. 39क), उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेना (अनु. 43–क), (IAS : 2017) (iii) पर्यावरण (Environment) की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा (अनु. 48–क)।

- संविधान में भाग–4 क व अनु. 51 क जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया।* ध्यातव्य है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है।*
- अनु. 74 में संशोधन कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा।
- इस संशोधन द्वारा अनु. 368 में दो नये खण्ड (4) और खण्ड (5) जोड़े गये। खण्ड (4) यह उपबन्धित करता था कि संसद द्वारा किए गये संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी तथा खण्ड (5) संदेह के निवारण के लिए यह घोषित करता था कि इस अनु. के अन्तर्गत संविधान के उपबन्धों को जोड़ने परिवर्तित करने या निरसित करने के लिए संसद की विधायी शक्ति पर कोई परिसीमन नहीं होगा।
- लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को पाँच से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया।
- आपात उपबन्ध के सम्बन्ध में निम्न दो मुख्य परिवर्तन किये गये– (i) राष्ट्रपति पूरे देश के साथ–साथ अब देश के किसी एक भाग में भी अनु. 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकेगा। (ii) अनु. 356 के तहत राज्यों में आपात घोषणा के पश्चात संसद द्वारा अनुमोदन के बाद छः महीने लागू रह सकती थी, अब यह एक वर्ष तक लागू रह सकती है।
- संसद को यह अधिकार दिया गया गया कि वह यह निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद हैं
- यह प्रावधान किया गया कि संसद तथा राज्य विधानमण्डलों के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है।

➢ 44 वाँ संविधान संशोधन 1978

ज्नतादल की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा कये गये अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए पारित किया था। इसके द्वारा किये गये प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं–

- अनु. 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार 'आन्तरिक अशान्ति' के स्थान पर' 'सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। अतः अब राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा 'आन्तरिक अशान्ति– आधार पर नहीं की जा सकती बल्कि 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर की जाती हैं।
- यह भी उपबन्धित किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा, जब उसे मंत्रिमण्डल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाय।
- सम्पत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे अनु. 300 क, के तहत विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इसके लिए अनु. 31 तथा अनु. 19 (1) (च) को निरसित किया गया।
- अनु. 74 में पुनः संशोधन कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमण्डल की सलाह, को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है किन्तु पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा।
- लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गयी।
- उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी विवाद को हल करने की अधिकारिता पुनः प्रदान कर दी गई।

➢ 51 वाँ संविधान संशोधन 1984

इस संशोधन द्वारा अनु. 330 (1) और 332 (1) में संशोधन किया गया है, नागालैण्ड और मेघालय के स्वतंत्र राज्य बनने के कारण इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

- **52 वाँ संविधान संशोधन 1985**
  इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया था।* तथा अनु. 101, 102, 190, 191 को संशोधित करके यह उपबंध किया गया कि यदि संसद अथवा विधानमण्डल का कोई सदस्य अपने दल का त्याग करता है या निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी के द्वारा दल से निष्कासित कर दिया जाता है, अथवा कोई स्वतन्त्र सदस्य सदन में सीट प्राप्त करने के 6 महीने बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता सदन से समाप्त हो जाएगी।

- **53 वाँ संविधान संशोधन 1986**
  इस संशोधन द्वारा संघ क्षेत्र मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा उसे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनु. 371 छ जोड़ा गया।

- **55 वाँ संविधान संशोधन 1986**
  इसके द्वारा अरूणांचल प्रदेश को भारत के 24वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनु. 371 ज को जोड़कर उसके लिए विशेष व्यवस्था की गयी।

- **56 वाँ संविधान संशोधन 1987**
  गोवा को दमन व दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया तथा दमन और दीव को केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया, साथ ही अनु. 371 झ अन्तःस्थापित कर गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधान सभा का प्रावधान किया गया।

- **58 वाँ संविधान संशोधन 1987**
  अनु. 394–क जोड़कर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गये 'संविधान के हिन्दी में प्राधिकृत' पाठ को प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया।

- **61 वाँ संविधान संशोधन 1989**
  इसके द्वारा अनु. 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया।*

- **65 वाँ संविधान संशोधन 1990**
  अनु. 338 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर एक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।

- **69 वाँ संविधान संशोधन 1991**
  संविधान में दो नये अनुच्छेद, अनु. 239 क क तथा 239 क ख जोड़े गये हैं, जिनके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है तथा उसका नाम 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' रखा गया और उसके लिए 70 सदस्यीय विधान सभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबन्ध किया गया।

- **70 वाँ संविधान संशोधन 1992**
  इसके द्वारा दिल्ली तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल करने का प्रावधान किया गया।*

- **73 वाँ संविधान संशोधन 1992**

  इसके द्वारा संविधान में अनुसूची–11, भाग–9 तथा अनु. 243 के पश्चात् अनु. 243A – 243'O', को जोड़कर भारत में पंचायती राज' की स्थापना का उपबन्ध किया गया।

- **74वाँ संविधान संशोधन 1992**

  इसके द्वारा संविधान में अनुसूची–12 तथा भाग 9क (अनु. 243P- 243ZG) जोड़कर नगरपालिका, नगर निगम तथा नगर परिषदों के गठन एवं संरचना आदि से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।*

- **84 वाँ संविधान संशोधन 2001**

  इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा लगे प्रतिबन्ध को हटाते हुए 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी गयी तथा लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया।*

- **86 वाँ संविधान संशोधन 2002**

  इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दने सम्बन्धी प्रावधान किया गया है।* इसके लिए अनु. 21 क संविधान में जोड़ा गया है तथा अनु. 45 तथा अनु. 51 क में भी संशोधन किया गया है। अनु. 51 क के तहत संशोधन द्वारा 11 वाँ कर्तव्य जोड़ा गया है।

- **89वाँ संविधान संशोधन 2003**

  इसके द्वारा अनु. 338 क को जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।*

- **91 वाँ संविधान संशोधन 2003**

  इसके द्वारा 10 वीं अनुसूची में संशोधन कर दल–बदल व्यवस्था को ओर कड़ा किया गया है।* इसके द्वारा अनु. 75 तथा 164 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार भी नियत किया गया।* अब केन्द्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या लोक सभा तथा विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। किन्तु जहाँ सदन की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है, वहाँ अधिकतम 12 होगी।

- **92 वाँ संविधान संशोधन 2003**

  आठवी अनुसूची में संशोधन कर चार नई भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया है। इस प्रकार आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषायें सम्मिलित हो गयी हैं।

- **संविधान का 97 वाँ संशोधन 2011**

  इस संशोधन के द्वारा अनु. 19(1) (c) में 'सहकारी समितियां' जोड़ा गया (UPPSC : M : 2016) यह संशोधन सहकारी समितियों के स्वैच्छिक विनिर्माण, स्वायतत संचालन, लोकतान्त्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में अनु. 43ख अंतःस्थापित करता है। संशोधन द्वारा एक नया भाग–9ख भी अंतःस्थापित किया गया है जिसमें (अनु. 243 ZH – अनु. 243- ZT तक) कुल 13 अनु. हैं। यह संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक स्तर प्रदान करता है।

- <u>**संविधान का 99 वाँ संशोधन 2014**</u>

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण के लिए 1993 से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission-NJAC) का प्रावधान किया गया था।

किन्तु 14 अक्टूबर, 2015 को न्यायमूर्ति जे.एस. केहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4 : 1 के बहुमत से 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' अधिनियम ओर 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया।

- **100 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2015**

इस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित 'भू–सीमा समझौता (Land Boundary)' और तत्सम्बन्धी प्रोटोकॉल को अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 एनक्लेव (बस्तियों) बांग्लादेश को प्राप्त हुए हैं तथा बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 एनक्लेव भारत में शामिल किए गए है।

- **101 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2016**

इस सं. संशोधन अधिनियम का सम्बन्ध GST (Goods and Service Tax) से है। 8 सितम्बर, 2016 को संविधान (122 वाँ संशोधन) विधेयक, 2014 राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत संविधान (101 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ।

यह विधेयक संघ एवं राज्य दोनों से संबंधित है अतः इसे अधिनियमित होने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। वर्तमान में 8 राज्यों (जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल) को छोड़कर अब तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसे अनुसमर्थित किया जा चुका है। इनमें असोम GST को अनुसमर्थन देने वाला पहला राज्य रहा। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 11 (अनुच्छेद 248, 249 एवं 250), भाग 12 (अनुच्छेद 268, 269, 270, 271 तथा 286), भाग 19 (अनुच्छेद 266), भाग 20 (अनुच्छेद 368) तथा छठीं, सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है तथा तीन नए अनुच्छेद (अनुच्छेद 246ए, 269ए तथा 279ए) जोड़े गए जबकि अनुच्छेद 268ए को समाप्त कर दिया गया है।

- **102 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 (123 वाँ संशोधन विधेयक)**

इस संशोधन द्वारा अनु. 338 ख अंतः स्थापित कर ''राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग'' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

- **103 वाँ संशोधन अधिनियम, 2019, (124 वाँ संशोधन विधेयक)**

इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया, जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके क्रमशः दोनों में ही नया खण्ड 6 अंतः स्थापित किया गया है।

- **104 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 (126 वाँ संशोधन विधेयक)**

लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल–भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन को 25 जनवरी, 2020 से समाप्त कर दिया है।